[1][**प्ररूप सं. 34ग**

[नियम 44ङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन कोई अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए अनिवासी आवेदक के संबंध में आवेदन का प्ररूप

(कृप्या इस प्ररूप को भरने से पूर्व टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष

1.	किसी व्यक्ति के मामले में, अंतिम नाम/उप नाम/ मध्य नाम	श्री	श्रीमती
2.	जन्म की तारीख		
3.	पिता का नाम		
4.	पूरा नाम (उस मामले में जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है)		
5.	निगमन करने की तारीख (उस मामले में जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है)		
6.	निगमन करने के प्रकार		
7.	पता		
8.	टेलिफोन, फैक्स नं. और ई-मेल पता		
9.	वह देश जिसका वह निवासी है		
10.	प्रास्थिति		
11.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार		
12.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी (विद्यमान निर्धारिती के मामले में)		
13.	स्थायी खाता संख्या (विद्यमान निर्धारिती के मामले में)		
14.	उस संव्यवहार जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, से संबंधित प्रश्न (प्रश्नों)		
15.	क्या मद संख्या 14 में निर्दिष्ट संव्यवहार राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से संबंधित है ?	हां/नहीं	
16.	यदि हां, तो कार्यक्रम का नाम		
17.	मद संख्या 14 में निर्दिष्ट प्रश्न (प्रश्नों) से संबंधित सुसंगत तथ्यों का विवरण		
18.	पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में यथास्थिति, आवेदक के विधि या तथ्य के निर्वचन को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण		
19.	संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची		
20.	आवेदन के साथ संलग्न फीस भुगतान के ब्यौरे जैसे संव्यवहार संदर्भ संख्या/चालान सत्यापन संख्या/भुगतान सत्यापन संख्या आदि		
21.	भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता यदि कोई हो		
22.	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका आवेदक निवासी होने का दावा करना है।		
23.	आवेदक की मूल कम्पनी या कम्पनियों की विशिष्टियां		
(क)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का नाम		
(ख)	आवेदक की तत्काल मूल कपंनी का पता		

1. आय–कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **12.6.2023** से प्रतिस्थापित।

(ग)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(घ)	आवेदक की तत्काल मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ङ)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की तत्काल मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।	
(च)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का नाम	
(छ)	आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का पता	
(ज)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(झ)	ओवदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ञ)	कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक या प्रकार्य समतुल्य या उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की क्रमांतिम मूल कपंनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक या वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।	

....
हस्ताक्षरित
(आवेदक)

सत्यापन

मैं, ...पुत्र/पुत्री /पत्नी [पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में] श्री... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर और उपाबंधों) में जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज भी हैं, जो कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं, ... (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूं और मै यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि वह प्रश्न, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, मेरे मामले में किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीख..................................को सत्यापित किया गया।

....

(आवेदक)

स्थान :.....................

टिप्पण :

1. यह आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाए।
2. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में नियमों के नियम 44ङ के अनुसार लागू फीस के भुगतान का सबूत संलग्न होगा। भुगतान के ब्यौरे मद 20 के उत्तर में दिए जाएंगे।
3. मद सं. 7 के उत्तर में, किसी आवेदक के मामले में जो विद्यमान निर्धारिती नहीं है, निम्नलिखित पते दिए जाएंगे:-
   - भारत में वह स्थान जहां कार्यालय या निवास स्थित है या स्थित होना संभाव्य है
   - निगमन के अपने देश में पता।
4. मद सं. 9 के उत्तर में, यदि आपवेदक कोई कंपनी, व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, आदि है तो, उसके निवास के देश का नाम दिया जाना है, नाकि ऐसे व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति की ओर से आवेदन फाइल कर रहा है।
5. मद सं. 10 के उत्तर में, आवेदक यह बताए कि क्या वह यह व्यष्टि हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति-संगम या कंपनी है।
6. मद सं. 11 के लिए उत्तर आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथाअन्तर्विष्ट भारत में 'निवास' से संबंधित उपबंधों के सदंर्भ में दिया जाए। इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

किसी व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 'निवासी' तब कहा जाता है, जब यदि वह उस वर्ष के दौरान निम्नानुसार भारत में रहा है:-

- 182 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या
- 60 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए और वह पूर्ववर्ती चार वर्षों में 365 दिन या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है।

तथापि, किसी भारत के नागरिक या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है और भारत भ्रमण के लिए आता है या जब कोई भारत का नागरिक भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजन के लिए या किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोडता है, की दशा में 60 दिनों की अवधि को बढाकर 182 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर है और भारत भ्रमण के लिए आता है तो उपर्युक्त उल्लिखित 60 दिन की अवधि को बढाकर 120 दिन कर दिया गया है, यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति की कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित दशाओं पर विचार के बिना कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी कुल आय विदेशी स्रोत से आय के सिवाय 15 लाख से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या किसी अन्य मानदंड के कारण किसी देश या संघ राज्य क्षेत्र में कर के लिए दायी नहीं है।

कोई व्यक्ति-संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब प्रत्येक दशा में भारत में निवासी है सिवाय वहां के जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि यह कोई भारतीय कंपनी है या उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया में स्थित है।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपरोक्तानुसार भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

7. मद सं. 14 के संबंध में, प्रश्न, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिएं) परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

8. मद सं. 17 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार बताए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहारों की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किए गए हो।

9. मद सं. 18 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) की बाबत, जिस (जिन) के संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्टरूप से उल्लेख करे ।

10. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के लिए उपाबंधों और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज,-

(क) व्यष्टि की दशा में,--

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) व्यष्टि के स्वयं के द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षार किए जाने संभव न हों, वहां इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति से प्राप्त विधिमान्य मुख्तारनामा होना चाहिए और उसे आवेदनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ख) अविभक्त हिंदू कुटुंब की दशा में,–

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) कर्ता के स्वयं के द्वारा या;

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किए जाएंगे; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ग) कंपनी की दशा में,–

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, वहां उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से किसी प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, किए जाएंगे:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दशा में आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिमान्य मुख्तारनामा धारित करेगा, जो आवेदन से संलग्न होगा;

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित किया जाए;

(घ) फर्म की दशा में,–

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) प्रबंध भागीदार के स्वयं के द्वारा; या

(ii) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने में समर्थ नहीं है या उसका कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, किया जाएगा, जो अवयस्क नहीं हो; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ङ) व्यक्तियों के संगम की दशा में,-

(I) संगम के किसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

(च) किन्हीं अन्य व्यक्तियों की दशा में,-

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे; और

(II) उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का विवरण जिनका उन प्रश्नों से संबंध है जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

....

....

....

स्थान................. *(आवेदक)*

तारीख.................

उपाबंध 2

प्रश्न जिस पर/जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत् आवेदक के

यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अतर्विष्ट करते हुए कथन

....

....

....

(आवेदक)

स्थान.................

तारीख.................